रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2011/पौष 16, 1932
No. 19] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2011/PAUSHA 16, 1932

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2011

का.आ. 19(अ).—जबकि तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में तटीय क्षेत्रों की घोषणा हेतु आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए तथा तटीय विनियमन क्षेत्र में उद्योगों, प्रचालनों और प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगाते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दिनांक 15 सितंबर, 2010 के सां. आ. सं. 2291 (अ) द्वारा अधिसूचना का प्रारुप जारी किया गया था;

और जबकि, उक्त राजपत्र की प्रतियां 15 सितम्बर, 2010 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी;

और जबकि, जनता से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) की उपधारा (1) और खंड (v) द्वारा प्रदत्त *शक्तियों* का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले स्थानीय समुदायों की आजीविका सुनिश्चित करने, तटीय क्षेत्रों का संरक्षण और इसके विशिष्ट पर्यावरण व समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा व संरक्षण करने तथा तटीय क्षेत्रों में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं व ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल स्तर में वृद्धि जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धान्तो पर आधारित सतत रूप से होने वाले विकास को बढ़ावा देने के *उद्देश्य* से *देश* के तटीय विस्तार व आसपास के जल क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों तथा लक्षद्वीप तथा समुद्री क्षेत्र जो इन द्वीपों को चारों ओर से घेरे रहती है को छोड़कर, तटीय विनियमन क्षेत्र (यहां इसके बाद सीआरजेड के रूप में संदर्भित) के रूप में घोषित करती है और उक्त सीआरजेड में किसी भी प्रकार के उद्योग, प्रचालनों या प्रक्रियाओं की स्थापना और विस्तार तथा परिसंकटमय पदार्थ (हथालन, प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2009 में विर्निर्दिष्ट परिसंकटमय पदार्थों के विनिर्माण या हथालन या भंडारण या निस्तारण को प्रतिबंधित करती है; और

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के खंड (घ) और नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं. सां.आ. 114 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 1991 (पैराग्राफ 2, 3, पैराग्राफ 6 के उप–पैराग्राफ (i) और (ii), पैराग्राफ 7 से संबंधित उपबंधों को छोड़कर) का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा करने के लिए छोड़ दी गई बातों के अलावा, केन्द्र सरकार एततद्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों को सीआरजेड के रूप में घोषित करती है और इस अधिसूचना की तिथि से सीआरजेड गें उद्योगों, प्रक्रियाओं और ऐसे कार्यकलापों की स्थापना और विस्तार करने पर निम्नलिखित प्रतिबंध लागू करती है, –

(i) उच्च ज्वार रेखा (यहां इसके बाद एचटीएल के रूप में संदर्भित) से लेकर समुद्र की ओर अभिमुख 500 मीटर का भू–क्षेत्र।

(ii) सी.आर.जेड. उन क्षेत्रों पर भी लागू होगा जो एचटीएल से लेकर 100 मीटर या क्रीक की चौड़ाई, जो भी कम हो, ज्वार से प्रभावित जलाशयों, जोकि समुद्र से जुड़े हुए हैं, के मध्य स्थित वह दूरी जहां तक ज्वार से प्रभावित *जलाशयों* के आसपास विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित किया जाना है और इस दूरी का निर्धारण वर्ष के शुष्क काल में लवणीयता की मात्रा को 5 पार्ट्स प्रति हजार (पी.पी.टी.) को आधार मानकर किया जाएगा तथा ज्वार से प्रभावित होने वाली दूरी को तटीय जोन प्रबंधन योजनाओं (यहां इसके बाद सीजेडएमपी के रूप में संदर्भित) के अनुसार पहचान कर उसका निर्धारण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :– इस उप पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ ज्वार से प्रभावित जलाशयों का अर्थ है खाड़ी, *एश्च्यूरी,* झील, बैकवाटर, लगून, समुद्र या क्रीक से समुद्री ज्वार से प्रभावित जलाशय इत्यादि।),

(iii) समुद्री अग्रभाग के मामले में जोखिम रेखा और तट की ओर के एच.टी.एल. से 500 मीटर तक के क्षेत्र के मध्य स्थित भू–क्षेत्र, और समुद्री ज्वार से प्रभावित जलाशयों के मामले में जोखिम और 100 मीटर रेखा के मध्य 'जोखिम रेखा' का अर्थ है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से ज्वारीय घटनाओं, लहरों व समुद्री जल स्तर में वृद्धि एवं तटीय रेखाओं के परिवर्तन संबंधी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया सीमांकन ।

(iv) एच.टी.एल. एवं निम्न ज्वारीय रेखा (यहां इसके बाद एलटीएल के रूप में संदर्भित) के मध्य स्थित भू–क्षेत्र को *शामिल* किया गया है, जिसे अंतरज्वारीय क्षेत्र कहा जाएगा।

(v) ज्वार से प्रभावित *जलाशयों* के लिए समुद्र और जल के मामले में एल.टी.एल. एवं क्षेत्रीय जल सीमा (12 नॉटिकल मील) के मध्य स्थित भू–क्षेत्र व किनारे की विपरीत दिशा में किनारे पर एल.टी.एल. से एल.टी.एल. के बीच के क्षेत्र।

2. इस अधिसूचना के *उद्देश्य* के लिए, एच.टी.एल. का अर्थ है वह भू–क्षेत्र जहां तक वसंत ऋतु में होने वाले ज्वार प्रक्रियाओं के कारण जल अधिकतम ऊँचाई तक पहुँचता है और इसका निर्धारण संलग्नक–1 में दिए गए *दिशा–निर्देशों* के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत सीमांकन प्राधिकरण/प्राधिकरणों द्वारा इस अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरे देश के सभी भागों में एकसमान निर्धारण किया जाएगा।

3. सीआरजेड के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियां:–सी.आर.जेड. के अंतर्गत निम्न गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है:–

(i) नए उद्योगों को स्थापित करने व उसके विस्तार से संबंधित गतिविधियां, निम्न को छोड़कर,–

(अ) वे उद्योग जिन्हें वाटरफ्रन्ट अथवा किनारे संबंधी सुविधाओं की प्रत्यक्ष *आवश्यकता* होती है;

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजनार्थ "किनारे संबंधी सुविधाओं" का अर्थ है इस अधिसूचना के अंतर्गत अनुमेय सुविधाएं और उनके लिए प्रचालन हेतु वाटर फ्रंट जैसे पत्तन और बंदरगाह, जेट्टी, क्वेस, वहार्व्स, क्षरण नियंत्रण उपाय, ब्रेक वाटर, पाइप लाइनें, लाइट हाउस, समुद्री सुरक्षा सुविधाएं, तटीय पुलिस थानों आदि की आवश्यकता होती है।

(ब) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाएं;

(स) सामाजिक प्रभावों सहित एक प्रभाव आकलन अध्ययन के आधार पर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतो द्वारा शक्ति उत्पादन की सुविधाएं तथा सी.आर.जेड.– I (i) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में *डिसेलिनेशन* संयंत्रों की स्थापना;

(द) ग्रीन फील्ड हवाईअड्डे की केवल नवी मुम्बई में निर्माण की अनुमति;

(य) स्थानीय टाउन और कंट्री प्लानिंग विनियमों के अनुसार मछुआरों सहित स्थानीय समुदायों के मकानों का पुर्नानिर्माण, मरम्मत कार्य।

(ii) तैलीय उत्पादों के निर्माण या संग्रहण अथवा परिसंकटमय वस्तुओं के निस्तारण की प्रक्रिया जैसा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सां.आ. 594(अ) दिनांक 28 जुलाई 1989, संख्या सां.आ. 966(अ) दिनांक 27.11.1989 एवं जी.एस.आर. 1037(अ) दिनांक 5 दिसम्बर 1989 में विर्निदिष्ट है, निम्न को छोड़कर,–

(अ) परिसंकटमय वस्तुओं का जहाजों से बंदरगाह, टर्मिनल एवं रिफाइनरी इत्यादि स्थानों को लाना–लेजाना;

(ब) इस अधिसूचना के संलग्नक–II में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों व तरल *प्राकृतिक* गैस (यहां इसके बाद एलएनजी के रूप में संदर्भित) के आवागमन व भंडारण संबंधी सुविधाएं तथा सीआरजेड–I (i) के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों में तरल *प्राकृतिक* गैसों के पुनःगैसीकरण से संबंधित सुविधाएं। इन क्षेत्रों को निर्धारित करने से पहले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तैल उद्योग

सुरक्षा *निदेशालय* व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार सुरक्षा संबंधी नियमों के क्रियान्वयन के अध्यधीन।

बर्शते की उर्वरकों तथा इसके निर्माण में अमोनिया, फॉस्फोरिक अम्ल, सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि जैसे कच्चे माल को प्राप्त करने व उसके भण्डारण से संबंधित सुविधाओं की अनुमति केवल सी.आर.जेड.–I (i) के अंर्तगत न आने वाले क्षेत्रों में ही दी जाएगी।

(iii) मत्स्य प्रसंस्करण इकाईयों, जिसमें हैचरी और मछलियों को प्राकृतिक रूप से सुखाने की प्रक्रिया को छोड़कर, वेयरहाउसिंग शामिल है, की अनुमति वाले क्षेत्रों में स्थापना तथा उसका विस्तार :

(iv) भू–सुधार, समुद्री जल को बांधना या उसके *प्राकृतिक* प्रवाह को बिगाड़ने से संबंधित गतिविधियां, निम्न को छोड़कर,–

(अ) अग्रतट सुविधाओं में सुधार करने के लिए की जा रही निर्माण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गतिविधियां, जैसे पत्तन, बंदरगाह, जेट्टी, घाट, तटबंध या स्लिपवे, पुल, सीलिंक इत्यादि एवं अन्य सुविधाएं जोकि अत्यंत आवश्यक है एवं अधिसूचना के अधीन अनुमेद हैं।

(ब) क्षरण को राकने के लिए किए जा रहे कार्य, जोकि वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित हो जिसमें पर्यावरण प्रभाव आकलन (यहां इसके बाद ई.आई.ए. के रूप में संदर्भित) अध्ययन शामिल हैं;

(स) जलमार्गों, चैनलों एवं बंदरगाहों की देखरेख या उनकी साफ–सफाई जोकि ई.आई.ए. अध्ययनों पर आधारित हो;

(द) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी एजेंसी द्वारा किए गए बलुई टीलों को बनने से रोकने, ज्वार नियंत्रकों के प्रतिस्थापन, तेज जल प्रवाह नालियां को स्थापित करने तथा स्वच्छ जलाशयों में लवणीय जल के सम्मिश्रण को रोकने व स्वच्छजल के रिचार्ज संबंधी गतिविधियों पर आधारित उपाय।

(v) अपशिष्ट एवं उत्प्रवाहों के निस्तारण से संबंधित इकाईयों या प्रणालियों की स्थापना एवं विस्तार संबंधी गतिविधियां, निम्न को छोड़कर जहां इस सुविधा की *आवश्यकता* होती है,–

(अ) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अंर्तगत दिए गए *दिशा–निर्देशों* के अनुसार जिसमें उपचारित उत्प्रवाह को जलाशयों में छोड़ा जाना;

(ब) तूफानी जल निकासी और पम्पिंग हेतु सहायक संरचना;

(स) सी.आर.जेड.–I के अंर्तगत न आने वाले क्षेत्रों अर्थात् सी.आर.जेड. से संबंधित क्षेत्रों में स्थित होटलों व समुद्र तट रिसॉर्टों से निकलने वाले *अपशिष्टों* एवं उत्प्रवाहों का उपचार व उपचारित *अपशिष्टों* एवं उत्प्रवाहों का निस्तारण;

(vi) उद्योगों, शहरों व कस्बों तथा अन्य बस्तियों से निकलने वाले अनुपचारित अपशिष्टों एवं उत्प्रवाहों का निस्तारण। यदि ऐसी कोई गतिविधियां चल रही हैं तो उन्हें रोकने के लिए संबंधित प्राधिकरण इस अधिसूचना के जारी होने से अधिकतम दो वर्षों में योजनाएं लागू करेंगे।

(vii) भू–भरण के *उद्देश्य* से *शहर* व कस्बे से निकलने वाले *अपशिष्टों* तथा औद्योगिक ठोस अपशिष्ट, फ्लाई ऐश का निस्तारण और संबंधित प्राधिकरण यदि ऐसी कोई गतिविधियां चल रही हैं तो उन्हें रोकने के लिए इस अधिसूचना के लागू होने से एक वर्ष की अवधि में इसे बंद करने के लिए योजनाएं लागू करेंगे ।

टिप्पणी :–पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पैरा (v), (vi) और (vii) के संबंध में कार्य योजनाएं तैयार करने और उनके क्रियान्वयन तथा उसकी समय–सीमा सहित मॉनीटरिंग के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अलग से अनुदेश जारी करेगा।

(viii) तट के अधिक अपरदन वाले स्थलों में पत्तन और बंदरगाह परियोजनाएं, उन परियोजनाओं के अलावा जिन्हें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक अध्ययनों तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से परामर्श करते हुए ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार कार्यनीतिक और रक्षा संबंधी परियोजना के रूप में वर्गीकृत होने के रूप में पहचान की गई है।

(ix) शॉपिंग एवं आवासीय भवनों, होटलों एवं मनोरंजन संबंधी गतिविधियों इत्यादि के द्वारा तटीय क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण,

(x) बालू, चट्टानों एवं अन्य वस्तुओं के लिए की जा रही खनन प्रक्रिया, निम्न को छोड़कर,–

(अ) ऐसे पोशक तत्वों का खनन जोकि सी.आर.जेड. क्षेत्र के अलावा कहीं भी *उपलब्ध नहीं है,*

(ब) तेल एवं प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण एवं संदोहन,

(xi) एच.टी.एल. के अंर्तगत 200 मीटर तक के क्षेत्र में भू–गर्भीय जल का निष्कर्षण एवं इससे संबंधित निर्माण, निम्नलिखित के अलावाः–

(क) उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय समुदाय निवास करते हैं और जो केवल उनके उपयोग के लिए हैं।

(ख) इस प्रकार की गतिविधि की अनुमति 200–500 मीटर के क्षेत्र के अंर्तगत तभी दी जा सकती है जब यह गतिविधि पेयजल, बागवानी, कृषि एवं मत्स्य पालन के लिए शारीरिक श्रम द्वारा किया जा रहा हो और जल का कोई अन्य स्रोत उपलब्ध न हो।

टिप्पणी :– समुद्री जल के प्रवेश कर जाने से प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे निष्कर्षण के संबंध में राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

(xii) इस अधिसूचना के पैरा 8 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के अलावा सीआरजेड–I में निर्माण कार्यकलाप।

(xiii) सौन्दर्यीकरण या अन्य उद्देश्य के लिए बलुई टीलों, पहाड़ियों, *प्राकृतिक* भू–*दृश्यों* में परिवर्तन करने संबंधी गतिविधियां और ऐसे अन्य प्रयोजन।

(xiv) समुद्री/तटीय पुलिस स्टेशनों के गश्त और सतर्कता कार्यकलापों हेतु अपेक्षित सुविधाएं।

4. सीआरजेड क्षेत्र में अनुमति प्राप्त गतिविधियों का नियंत्रण–पैराग्राफ 3 में प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को छोड़कर, निम्नलिखित गतिविधियों का विनियमन किया जाएगा–

(i)(अ) ऐसी गतिविधियों, जिनके लिए वाटरफ्रंट या किनारे संबंधी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुमति दी जाएगी।

(ब) ऐसी परियोजनाएं जोकि इस अधिसूचना में सूचीबद्ध हैं एवं जिनके लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 आदेश संख्या 1533 (ई), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की आवश्यकता है तो इन परियोजनाओं को मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता तभी है जब राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (यहां इसके बाद सी.जेड.एम.ए. के रूप में संदर्भित) द्वारा संस्तुत हो।

(स) इस अधिसूचना के पैराग्राफ 8 में वर्णित तटीय विनियमन जोन में विनिर्दिष्ट आवासीय योजनाएं।

(द) सीआरजेड–II में 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले निर्माण पर ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अनुसार विचार किया जाएगा। 20,000 वर्ग मीटर से कम निर्मित क्षेत्र वाली परियोजनाओं के मामले में तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (सी.जेड.एम.ए.) से प्राप्त संस्तुति के बाद इस अधिसूचना के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियोजन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। ईआईए अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय अनुमति प्रदान करने या संबंधित नियोजन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करने हेतु संबंधित सी.जेड.एम.ए. पूर्व–संस्तुतियां अनिवार्य होंगी। (य) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय किसी विशिष्ट या सामान्य आदेश के अधीन परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिनके लिए परियोजना से प्रभावित लोगों की पूर्व–जनसुनवाई अपेक्षित होगी। (र) पत्तनों और बंदरगाहों, जेटटी, घाटों, क्वेज, स्लिपवेज, पोत निर्माण यार्डो, ब्रेकवाटर, तटबंधों हेतु निर्माण और प्रचालन, क्षरण नियंत्रण उपाय;

(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, से निम्नलिखित गतिविधियों के लिए मंजूरी अपेक्षित होगी अर्थात्–

(अ) वे गतिविधियां जो ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 में सूचीबद्ध नहीं हैं।

(ब) परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा संबंधी मामलों से संबंधित निर्माणात्मक गतिविधियां जिसके लिए किनारे संबंधी सुविधाओं की आवश्यकता है जैसे स्लिपवे, जेट्टी, तटबंध, इत्यादि। रक्षा परियोजनाओं के क्रियात्मक अवयवों को छोड़कर। ऐसी परियोजनाओं के लिए एक अलग प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसे मंत्रालय द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाना चाहिए। ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अनुसार आवासीय भवन, कार्यालयी भवन, अस्पताल परिसर, कार्यनीतिक और रक्षा परियोजनाओं की वर्कशॉप;

(स) लाइटहाउस का निर्माण एवं संचालन;

(द) संचार प्रणाली, पाइपलाइन एवं ट्रांसमिशन लाइन की व्यवस्था संबंधी गतिविधियां;

(य) तेल एवं प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण तथा इससे जुड़ी हुई अन्य गतिविधियां एवं सुविधाएं आदि;

(र) ऐसी गतिविधियां जिसके लिए किनारे संबंधी सुविधाओं की आवश्यकता होती है जैसे कच्चे माल का परिवहन, शीतलन हेतु जल का उपयोग एवं उपचारित वाहित मल/थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाला शीतलन जल। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पैरा 4 के (र), (ल) और (व) पर परियोजनाओं की श्रेणी विनिर्दिष्ट कर सकता है;

(ल) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सूचीबद्ध दुर्लभ पदार्थों का खनन;

(व) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा शक्ति उत्पादन करने, डिसैलिनेशन संयंत्र एवं मौसमीय रेडार जैसी

सुविधाए;

(i) कुछ भवनों की मरम्मत एवं निर्माण (अ) पुरातात्विक या ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण, (ii) धरोहर एवं सार्वजनिक उपयोग वाले भवन अर्थात् धार्मिक स्थल, शैक्षणिक भवन, चिकित्सा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी भवन;

4.2 अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया:–इस अधिसूचना से संबंधित सभी परियोजनाओं के लिए सीआरजेड मंजूरी हेतु निम्न प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा, अर्थात :–

(i) परियोजना प्राधिकरण को मंजूरी करने के लिए, संबंधित सी.जेड.एम.ए. से सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुसार पूर्व में ही निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना चाहिए:–

(अ) फॉर्म–1 (अधिसूचना का अनुबंध– IV);

(*ब*) *4*(ग) और (घ) के अंतर्गत सूचीबद्ध निर्माण परियोजनाओं के अलावा समुद्री और स्थलीय घटक सहित त्वरित ई.आई.ए. रिपोर्ट;

(स) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से परामर्श करते हुए न्यून और मध्यम अपरदनकारी के रूप में वर्गीकृत स्थानों में परियोजनाओं हेतु संचयी अध्ययनों सहित व्यापक ई.आई.ए.;

(द) आपदा प्रबंधन रिपोर्ट एवं जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट;

(य) सी.आर.जेड. नक्शा जिसमें किसी प्राधिकृत एजेन्सी (जैसाकि पैरा 2 में इंगित है) द्वारा एच.टी.एल. एवं एल.टी.एल. का 1:4000 स्केल में सीमांकन;

(र) परियोजना का लेआउट जोकि उपर्युक्त (य) में वर्णित मैप में स्पष्ट रूप से दिखाया गया हो।

(ल) सी.आर.जेड. नक्शे में परियोजना स्थल का 7 किमी. व्यास का क्षेत्र;

(व) पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील अन्य अधिसूचित क्षेत्रों सहित सी.आर.जेड.–I, II, III एवं IV क्षेत्रों को दर्शाते हुए सी.आर.जेड. नक्शा;

(i) बहिस्रावों को डालने, ठोस अपशिष्टों, सीवेज इत्यादि से संबंधित परियोजनाओं हेतु संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या केन्द्र शासित क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों से मंजूरी पत्र;

(ii) संबंधित सी.जेड.एम.ए. अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. के अनुसार और सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुपालन में उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच करेगा तथा पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पैंसठ दिन के अंदर अपनी संस्तुतियां करेगा;–

(अ) यदि परियोजना, ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 से संबंधित है तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या एस.ई.आई.ए.ए.

(*ब*) यदि परियोजना, ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अंर्तगत नहीं है किंतु सी.आर.जेड. अधिसूचना के पैरा *4*(ii) से संबंधित है तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय।

(iii) एम.ओ.ई.एफ. या राज्य सरकार को संबंधित सी.जेड.एम.ए. से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर साठ दिनों के भीतर इन परियोजनओं को मंजूरी देनी है या नहीं इस पर विचार करना होगा।

(iv) सी.आर.जेड. अधिसूचना के अंतर्गत परियोजनाओं को दी गई मंजूरी निर्माण और प्रचालन हेतु जारी की गई मंजूरी की तिथि से पांच वर्षो की अवधि के लिए वैध होगी।

परियोजना की समयसीमा–

(v) मंजूरी प्राप्त करने के बाद की मॉनीटरिंग हेतु–(अ) यदि परियोजना प्रस्तावक के लिए यह अनिवार्य होगा कि पर्यावरणीय मंजूरी में निर्दिष्ट शर्तों एवं परिस्थितियों के अनुसार एक अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट को, संबंधित प्राधिकरण के समक्ष, हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 1 जून एवं 31 दिसम्बर को प्रस्तुत करे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी सभी अनुपालन रिपोर्टे सार्वजनिक की जाएगी; और इसकी प्रतियां किसी भी व्यक्ति को संबंधित सी.जेड.एम.ए. को आवेदन करने पर दी जाएगी।

(ब) ऐसी अनुपालन रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

(vi) सी.जेड.एम.ए. की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सी.जेड.एम.ए. का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इसके लिए एक वेबसाइट का निर्माण करे और इस पर माननीय न्यायालय के आदेशों तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. सहित कार्यसूची, कार्यवृत, लिए गए निर्णय, मंजूरी से संबंधित पत्र, उल्लंघन, उल्लंघनों पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामलों को प्रदर्शित करे।

5. तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं तैयार करना ।

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेंत्र की सरकारों द्वारा सीजेडएमपी तैयार करवायेगा;

(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेन्ट (एन.आई.एस.सी.जेड.एम.) को शामिल करते हुए तथा संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके तटीय राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ख्यातिप्राप्त और अनुभवी वैज्ञानिक संस्थाओं/एजेंसियों द्वारा सी.जेड.एम.पी .तैयार कराई जाएगी ;

(iii) जोखिम रेखा का निर्धारण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाएगा । जोखिम रेखा के निर्धारण के दौरान ज्वारीय घटनाओं, लहरों व समुद्री जल स्तर में वृद्धि एवं तटीय रेखाओं के परिवर्तन संबंधी घटनाओं को शामिल किया जाएगा;

(iv) ज्वारीय घटनाओं, लहरों व समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के उद्देश्य से तटीय विस्तार की कन्टूर मैपिंग भी करना अत्यंत आवष्यक है, जोकि एच.टी.एल. से 0.5 मीटर से लेकर 7 किमी. के मध्य किया जाना चाहिए। तटीय रेखाओं के परिवर्तन संबंधी घटनाओं से संबंधित रेखा का निर्धारण, पुराने आंकड़ों को आधार मानकर, पूर्व के सैटेलाइट चित्रों की तुलना वर्तमान

के सैटेलाइट चित्रों से करके किया जाना चाहिए;

(v) मैक्रो स्तरीय मैपिंग हेतु, खतरे की रेखा के निर्धारण से संबंधित मैपिंग के लिए 1:25,000 स्केल तथा स्थानीय स्तर की मैपिंग के लिए 1:10,000 स्केल का प्रयोग करना चाहिए और तटीय क्षेत्रों की भूमि उपयोग योजना तैयार करते समय जोखिम रेखा का ध्यान रखा जाएगा ;

(vi) तटीय राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को इस अधिसूचना के लागू होने से चौबीस महीने के भीतर ही अधिसूचना के संलग्नक–1 जिसमें जन परामर्श भी शमिल हैं में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में स्थित सी.आर.जेड. क्षेत्रों को पहचान कर एवं उसे विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करके, एक सी.जेड.एम.पी. 1:25,000 स्केल प्रारूप का निर्माण किया जाएगा।;

(vii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उचित परामर्शों और सिफारिशों सहित सी.जेड.एम.पी. प्रारूप राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा संबंधित सी.जेड.एम.ए. को प्रस्तुत किया जाएगा ;

(viii) सुझावों पर अमल शुरू करने और स्टेकहोल्डरों से प्राप्त आपत्तियों के पश्चात छह माह के भीतर राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सी.जेड.एम.ए. अपनी सिफारिशों सहित जी.जैड.एम.पी. का प्रारूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे ;

(ix) एम.ओ.ई.एफ. इस तटीय जोन प्रबंधन योजना के अंतिम स्वरूप को प्राप्त करने के चार महीने की अवधि के अंदर ही इसका भलीभांति निरीक्षण करेंगा और उसे मंजूरी देगा ;

(x) अधिसूचना में वर्णित समस्त विकासात्मक गतिविधियों का नियंत्रण इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार एवं केन्द शासित प्रदेश के प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण या संबंधित सी.जेड.एम.ए. द्वारा नियंत्रित किया जाएगा ;

(xi) सामान्यतः सी..जेड.एम.पी. को पांच वर्श की अवधि से पहले संशोधित नहीं किया जाएगा उसके पश्चात संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए नक्शों में संशोधन पर विचार करेगी;

(xii) तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के अंतर्गत पहले से अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. चौबीस महीने की अवधि के लिए वैध रहेगी जब तक कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उसमें दी गई ऐसी शर्तों के अधीन विशिष्ट अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त अवधि बढाई न गई हो ।

6. तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, का क्रियान्वयन–

(i) तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, का क्रियान्वयन–2011

(अ) इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के कार्यान्वयन और लागू करने के लिए और उसमें दी गई शर्तों के अनुपालन के लिए मौलिक रूप से या प्रदत शक्तियां पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, एनसीजेडएमए और एससीजेडएमए सहित पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम,

1986 में उपलब्ध हैं ।

(ब) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1993 की रिट याचिका 664 के आदेशों के संदर्भ में एनसीजेडएमए और राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सीजेडएमए के संघटन, अवधि और अधिदेश पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं ।

(स) इस अधिसूचना को लागू करने और उसकी मानीटरी के लिए राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र सीजेडएमए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे, इस कार्य में सहायता के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संबंधित जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित करेंगी जिसमें मछुआरा समुदाय सहित तीन प्रतिनिधि स्थानीय परम्परगत तटीय समुदायों से होंगे ;

(ii) सी.आर.जेड. अधिसूचना, 1991

(अ) सी.आर.जेड. अधिसूचना, 1991 जो इस अधिसूचना की जारी होने की तारीख से लागू हो चुकी है के किसी उल्लंघन के किसी विनियमितीकरण को लागू करने के लिए इस अधिसूचना का कोई अर्थ नही लगाया जाएगा ।

(ब) राज्य अथवा संघ. राज्य क्षेत्र सीजेडएमए इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर नवीनतम समुचित मानचित्रों, सेटेलाइट इमेजरी और सूचना प्रौघोगिकी का उपयोग करते हुए जी.आर.जेड. अधिसूचना 1991 के पैरा 2 ,3 पैरा 6 और 7 के उप पैरा (i) और (ii) के उपबंधों के उल्लंघनों की पहचान करेंगे और उसके पश्चात चार माह की अवधि के भीतर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

(स) सी.आर.जेड अधिसूचना, 1991 के अंतर्गत हुए ऐसे समस्त उल्लंघनों व इसके विरूद्ध की गई कार्रवाईयों को पर्यावरण और सी.जेड.एम.ए से संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग द्वारा विशेष रूंप से तैयार किए गए वेबसाइट पर डाला जाएगा ।

(द) मछुआंरा समुदाय, टोडी टैपर्स सहित परंपरागत तटीय समुदायों की अवासीय इकाइयां जैसीकि सीआरजेड अधिसूचना 1991 के उपबंधों के अंतर्गत स्वीकार्य थी परंतु उसे उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारियों से औपचारिक स्वीकृति नही मिली है, संबंधित सीजेडएमए द्वारा उन पर विचार किया जाएगा आवासीय इकाइयों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन विनियमित किया जाएगा, अर्थात :–

(i) *किसी प्रकार के वाणिज्यिक कार्यो के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाएगा ;*

(ii) *इन्हें गैर– परम्परागत तटीय समुदाय को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ;*

7. सी.आर.जेड. क्षेत्र का वर्गीकरण–तटीय क्षेत्रों एवं समुद्री जल के संरक्षण एवं सुरक्षा के उद्देश्य से, सी.आर जेड. क्षेत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं अर्थात :–

(i) *सी.आर.जेड.–I,–*

अ. ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील एवं ऐसी भू-आकृति विज्ञान विशेषताएं जोकि तटों की अखण्डता को बनाए रखने में आवश्यक है ;

(क) मैन्ग्रोव क्षेत्र। यदि मैन्ग्रोव क्षेत्र का विस्तार 1000 वर्ग मी. से अधिक है तो मैन्ग्रोव के किनारे 50 मीटर के क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में उपलब्ध कराना चाहिए;

(ख) प्रवाल एवं प्रवाल भिति तथा इससे जुड़ी जैवविविधता;

(ग) बलुई टीले;

(घ) तटीय समभूमि (मडफ्लेट) जहां जैविक विविधता हो;

(च) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) या पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत सूचीबद्ध राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री उद्यान, वन्यजीव विहार, संरक्षित वन, वन्यजीव पर्यावास एवं अन्य संरक्षित क्षेत्र;

(छ) नमकीन दलदल;

(ज) कछुआ प्रजनन स्थल;

(झ) हॉर्स शू केकड़े का पर्यावास;

(ट) समुद्री घास का मैदान;

(ठ) पक्षियों के प्रजनन का स्थान;

(ड) पुरातात्विक महत्ता वाला क्षेत्र/संरचना तथा धरोहर स्थल;

ब. ऐसे क्षेत्र जो निम्न ज्वार रेखा एवं उच्च ज्वार रेखा के मध्य स्थित हैं ।

(ii) सी.आर.जेड.-II.-

ऐसे क्षेत्र जो तटीय रेखा के एकदम निकट विकसित या स्थित हों।

स्पष्टीकरण : अधिसूचित के प्रयोजनार्थ क्षेत्रों को "विकसित क्षेत्र" कहते हैं यह क्षेत्र नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है या यह क्षेत्र कानूनन शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जोकि पहले से निर्मित हो चुका है तथा जहां उचित जलनिकास प्रणाली एवं सड़कें एवं अन्य आधारभूत ढांचे जैसे जलापूर्ति एवं वाहितमल निकास प्रणाली मौजूद है।

(iii) सी.आर.जेड.-III.-

ऐसे क्षेत्र जोकि अभी तक अव्यवस्थित नहीं है तथा जिन्हें श्रेणी-I एवं II में शामिल नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत वह तटीय क्षेत्र आता है जो ग्रामीण इलाकों (विकसित एवं अविकसित)में स्थित है और ऐसे क्षेत्र जो नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है या यह क्षेत्र कानूनन शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जोकि पहले से निर्मित न हुआ हो।

(iv) सी.आर.जेड.-IV.-

अ. समुद्र की ओर उच्च ज्वार रेखा से बारह नॉटिकल मील दूरी का जलीय क्षेत्र;

ब. ज्वार से प्रभावित जलाशयों के आसपास का जलीय क्षेत्र जोकि समुद्र की ओर स्थित जलाशय के मुख से ज्वार से प्रभावित क्षेत्र के मध्य आता है। इस दूरी का निर्धारण वर्ष के शुष्क काल में लवणीयता की मात्रा को 5 पार्ट्स पर थाउजेण्ड (पी.पी.टी.) को आधार मानकर किया जाना चाहिए।

(v) संवेदनशील तटीय पर्यावरण की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों द्वारा सामना की गई कठिनाईयों के लिए क्षेत्र जिनका विशेष ध्यान देना आवश्यक है,–

अ.(i) सी.आर.जेड. क्षेत्र जो ग्रेटर मुम्बई एवं नवी मुम्बई के नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है;

(ii) केरल राज्य का सी.आर.जेड. क्षेत्र जिसमें बैकवाटर एवं बैकवाटर द्वीप स्थित है;

(iii) गोवा का सी.आर.जेड. क्षेत्र।

ब. पश्चिम बंगाल के अत्याधिक संवेदनशील क्षेत्रों (सीवीसीए) और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील अन्य क्षेत्रों जिनकी पहचान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की गई है और जिनका प्रबंधन मधुआरा समुदाय सहित तटीय समुदाय द्वारा किया जाता है ;

8. इस अधिसूचना के अंतर्गत स्वीकार्य गतिविधियों के संचालन से संबंधित मानक,–

(i) विभिन्न श्रेणियों के सीआरजेड में संबंधित सीजेडएमए द्वारा विकास या निर्माण कार्यकलाप निम्नलिखित मानकों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात :–

टिप्पणी :– विभिन्न विशेषताओं की मौजूदगी या विनियमन या मानकों के संबंध में इसके पश्चात 'मौजूदा उपयोग' शब्द का आशय 19.2.1991 को इन विशेषताओं या विनियमनों या मानकों की मौजूदगी होगा जिस समय सीआरजेड अधिसूचना, अधिसूचित की गई थी ।

I. सी.आर.जेड.– I,–

(i) निम्न को छोड़कर किसी प्रकार की नई निर्माण प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जाएगी ;

(अ) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित परियोजना;

(ब) पाइपलाइन, संप्रेषण प्रणाली जिसमें ट्रांसमिशन लाइन भी सम्मिलित है;

(स) सी.आर.जेड.–I में अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए आवष्यक सुविधाएं;

(द) भारतीय मौसम विभाग द्वारा चक्रवातों एवं तूफानों की गति तथा पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए स्थापित मौसमीय राडार;

(य) एल.टी.एल. एवं एच.टी.एल. के मध्य, ज्वारीय प्रवाह को नुकसान पहुंचाए बिना, अवस्तंभ या खम्भों पर ट्रांसहार्बर समुद्री मार्ग या सड़क का निर्माण;

(र) नवी मुम्बई में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का विकास एवं इससे जुड़ी निर्माण संबंधी गतिविधियां;

(ii) एल.टी.एल. एवं एच.टी.एल. के मध्य के ऐसे क्षेत्र, जो पारिस्थितिक रूप से *संवेदनशील न* हो तथा

महत्वपूर्ण हो, में निम्न गतिविधियों को करने की अनुमति है अर्थात–

(अ) *प्राकृतिक* गैस का उत्खनन एवं *निष्कर्षण;*

(ब) संबंधित सी.जेड.एम.ए. से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् संरक्षित बायोस्फियर में निवास करने वाले पारंपरिक समुदाय की आवश्यकता हेतु चिकित्सालय, विद्यालय, सार्वजनिक आवासीय भवन, सामुदायिक *शौचालय,* पुल, सड़क, जेट्टी, जलापूर्ति व्यवस्था, जलनिकास प्रणाली, वाहित मल के निकास की व्यवस्था इत्यादि का निर्माण ।

(स) यदि ऐसे क्षेत्र खतरनाक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो ऐसे विकासात्मक गतिविधियों की अनुमति देने से पहले आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए;

(द) समुद्री जल का वाष्पीकरण करके नमक बनाने की विधि;

(य) डिसेलिनेशन संयंत्र;

(र) पूर्वनिर्धारित बंदरगाहों पर खाद्य तैल, उर्वरकों एवं खाद्य सामग्री जैसे खतरे से रहित पदार्थों का भण्डारण;

(ल) ज्वारीय प्रवाह को नुकसान पहुंचाए बिना, अवस्तंभ या खम्भों पर ट्रांसहार्बर समुद्री मार्ग या सड़क का निर्माण;

II. सी.आर.जेड.–II,–

(i) पहले से निर्मित सड़कों के भूमि की ओर या किसी प्राधिकरण से संबंधित भवनों की भूमि की ओर ही भवन बनाने की अनुमति दी जाएगी ।

(ii) वे भवन जिन्हें, पहले से निर्मित या प्रस्तावित सड़कों और पहले से निर्मित किसी प्राधिकरण से संबंधित भवनों के भूमि की ओर, बनाए जाने की अनुमति देना स्थानीय *शहरी* या *देश* के नियोजन, *जिसके अंतर्गत फ्लोर स्पेस इण्डेक्स/फ्लोर एरिया रेशियो से संबंधित 'पूर्वनिर्धारित' नियम भी शामिल है,* के अधिकार क्षेत्र में होगा ।

बशर्ते कि समुद्र की ओर पहले से निर्मित सड़क पर बनी किसी नई सड़क की ओर की भूमि पर किसी भी प्रकार के भवनों के निर्माण की अनुमति नही दी जाएगी ।

(iii) नए भवनों का निर्माण एवं उसकी संरचना आसपास के भूआकारिकी एवं स्थानीय अवसंरचना की तरह होनी चाहिए;

(iv) अधिसूचना के संलग्नक–II में वर्णित नियमों के अनुसार ही पेट्रोलियम उत्पादों तथा तरल *प्राकृतिक* गैस के परिवहन एंव भण्डारण के साथ–साथ तरल पैरा 2 (ii) में दिए गए नियम के अनुसार *प्राकृतिक* गैस के पुनः गैसीकरण की सुविधाएं;

(v) *डिसेलिनेशन* संयंत्र एवं *इससे जुड़ी अन्य सुविधाएं;*

(vi) पूर्वनिर्धारित बंदरगाहों पर खाद्य तेल, उर्वरकों एवं खाद्य सामग्री जैसे खतरे से रहित पदार्थों का

भण्डारण;

(vii) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन करने व इससे जुड़ी सुविधाएं;

III. सी.आर.जेड.–III.–

अ. समुद्र के सामने और ज्वारीय लहरों से प्रभावित जलाशयों या खाड़ी की चौड़ाई, जो भी कम हो, के किनारे 100 मी. और एच.टी.एल. से 200 मीटर तक भूमि की ओर के क्षेत्र को "नो डेवेलपमेन्ट जोन (एनडीजेड)", के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

(i) किसी अधिसूचित बंदरगाह सीमाओं में आने वाले ऐसे क्षेत्रों में एनडीजेड लागू नही होगा ।

(ii) पूर्व में निर्मित *प्राधिकृत* संरचनाओं में पूर्वनिर्धारित फ्लोर स्पेस इण्डेक्स, प्लिन्थ एरिया एवं घनत्व में बिना परिर्वतन किए, उनकी मरम्मत या *पुर्ननिर्माण* तथा इस अधिसूचना में लिखित *आवश्यक* गतिविधियों से संबंधित सुविधाओं के निर्माण सी फ्रंट के साथ–साथ एचटीएल से 100 और 200 मीटर के बीच मधुआरा समुदायों सहित परंपरागत तटीय समुदायों की आवासीय इकाइयों के निर्माण/पुनः निर्माण की अनुमति होगी जिसे मधुआरा समुदाय सहित परंपरागत तटीय समुदायों के साथ परामर्श कर और आवश्यक आपदा प्रबंधन प्रावधान, स्वच्छता तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सीजेडएमए से एनसीजेडएमए की सिफारिश पर शुरू किया जाएगा ।

(iii) हालांकि एनडीजेड में निम्न गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है: –

(क) कृषि, शाक–भाजी उत्पादन, बगीचे की व्यवस्था, चरागाह, पार्क खेलने का मैदान, वन;

(*ख*) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाएं;

(*ग*) दुर्लभ पोषक तत्वों का खनन;

(*घ*) समुद्री जल से नमक बनाना;

(*ङ*) अधिसूचना के संलग्नक–II में वर्णित नियमों के अनुसार ही पेट्रोलियम उत्पादों तथा तरल प्राकृतिक गैस के परिवहन एंव भण्डारण;

(*च*) पैरा 2 के उप पैरा (ii) में दिए गए नियम के अनुसार *प्राकृतिक* गैस के पुनः गैसीकरण की सुविधाएं;

(*छ*) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा *विद्युत* उत्पादन करने की सुविधाएं;

(*ज*) *डिसैलिनेशन* संयंत्र एवं इससे जुड़ी सुविधाएं;

(*झ*) मौसमीय रडार की स्थापना;

(*ञ*) संबंधित सी.जेड.एम.ए. से अनुमति प्राप्त स्थानीय समुदाय की *आवश्यकता* हेतु चिकित्सालय, विद्यालय, सार्वजनिक आवासीय भवन, सामुदायिक *शौचालय,* पुल, सड़क, जेट्टी, जलापूर्ति व्यवस्था, जलनिकास प्रणाली, वाहित मल के निकास की व्यवस्था इत्यादि का निर्माण एवं विकास की

अनुमति दी जाएगी ।

(ट) घरेलू वाहित मल, उपचार एवं निस्तारण के लिए बनाए जाने वाली इकाइयों या संबंधित निकायों हेतु प्रदूषण नियंत्रण परिषद्/समिति की ओर से मंजूरी प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए;

(ठ) *स्थानीय मछुआरा समुदाय के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे मछलियों को सुखाने के लिए प्रांगण, नीलामी के लिए एक हॉल, पारंपरिक नौका निर्माण संबंधी प्रांगण, बर्फ संयंत्र बर्फ तोड़ने की इकाई, मछलियों के उपचार से संबंधित सुविधाएं इत्यादि।*

(ड) पहले से अनुमित ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का विकास केवल नवी मुंबई में ।

ब. 200 मीटर से 500 मीटर तक का क्षेत्र:

उपरोक्त क्षेत्रों में निम्नलिखित गतिविधियां अनुमित होंगी;

(i) अनुबंध–III के दिशा–निर्देशों में यथाविर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, नामोदि्दष्ट क्षेत्रों में पर्यटकों/आगन्तुकों हेतु होटल/समुद्र तटीय रिसॉर्ट इत्यादि के निर्माण हेतु खाली प्लाटों का विकास ;

(ii) संलग्नक–II में वर्णित नियमों के अनुसार ही पेट्रोलियम उत्पादों तथा द्रवित *प्राकृतिक* गैस की प्राप्ति और उसके भण्डारण हेतु सुविधाएं;

(iii) अनुच्छेद 2 (ii) के उप–अनुच्छेद (ii) में यथावर्णित शर्तों के अनुसार द्रवित *प्राकृतिक* गैस के पुनः गैसीकरण की सुविधाएं;

(iv) अधिसूचित बंदरगाहों पर खाद्य तेल, उर्वरकों एवं खाद्य सामग्री जैसे खतरे से रहित पदार्थों का भण्डारण;

(v) *डिसैलिनेशन* संयंत्र एवं *इससे जुड़ी सुविधाओं हेतु तटाग्र सुविधएं;*

(vi) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए सुविधाएं;

(vii) आवासीय इकाईयों का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण जबतक कि वह पारंपरिक अधिकारों और उपयोगों जैसे मौजूदा गांवों और गोथान्स की परिधि के अंदर हैं । ऐसे निर्माण अथवा पुनः निर्माण हेतु निर्माण अनुमति, दो तलों (भूतल+ एक तल) सहित 9 मीटर तक अधिकतम ऊंचाई के निर्माण की समग्र ऊंचाई सहित स्थानीय नगर और शहर आयोजना नियमावली की शर्तों के अध्ययधीन होगी;

(viii) सी जेड एम ए द्वारा वर्षा से बचने के लिए सार्वजनिक स्थलों, सामुदायिक *शौचालयों,* जलापूर्ति व्यवस्था, वाहितमल निस्तारण संबंधी व्यवस्था, सड़क एवं पुलों का निर्माण । यह प्राधिकरण, यदि निर्माण हेतु अन्य स्थान उपलब्ध नहीं है तो सी.आर.जेड. के अंर्तगत आने वाले अधिकतर पंचायतों में निवास करने वाले स्थानीय लोगों के लिए स्कूल एवं चिकित्सालय के निर्माण की भी अनुमति प्रदान कर सकता है;

(ix) उप–अनुच्छेद (vii), (vii) के अध्यधीन मौजूदा प्राधिकृत भवन का पुनः निर्माण अथवा उसमें परिवर्तन ;

(x) पहले से अनुमित ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का विकास केवल नवी मुंबई में;

IV. सी.आर.जेड.– IV क्षे में,–

स्थानीय समुदायों द्वारा की गई पारंपरिक मत्स्यन और संबंधित गतिविधियों को छोडकर निम्नवत समुद्र और ज्वारीय प्रभावित जलाशयों पर आरोपित गतिविधियों को विनियमित किया जाएगा ;

अ. एक्वाकल्चर प्रचालनों सहित सभी गतिविधियों से उत्पन्न अशोधित मल जल, बहिस्राव, बैलास्ट वाटर शिप वाशेज, फ्लाई ऐश अथ्वा ठोस अपशिष्ट को डालना या फेंकना नहीं चाहिए । पारंपरिक तटीय समुदायों, पारंपरिक मछुआरा समुदायों सहित पणधारियों से परामर्श में एक वर्ष की अवधि के अंदर तटीय कस्बों और शहरों में उत्पन्न हो रहे मल जल के शोधन हेतु वृहत् योजना तैयार और कार्यान्वित की जाएगी;

ब. तेल और गैस अन्वेषण और ड्रिलिंग, खनन, बोट हाऊस और पोत–परिवहन से प्रदूषण;

स. स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक मत्स्य और संबंधित गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।

V. ऐसे क्षेत्र जिनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है,–

1. *ऐसे सी.आर.जेड. क्षेत्र जो ग्रेटर मुम्बई के नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है ।*

(i) *अशोधित बहिस्रावों के निस्तारण और ठोस अपशिष्ट के निपटान के कारण कच्छ वनस्पति वनों का अवक्रमण, संकरी खाड़ी और तटीय जलों का प्रदूषण से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों के कारण ग्रेटर मुंबई के सी आर जेड क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियां, समाज के निर्धन वर्ग को बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता और ग्रेटर मुंबई के अंतः संयोजित द्वीपों में उपयुक्त विकल्पों की कमी को निम्नवत् विनियमित किया जाएगा, अर्थात्:–*

अ. मार्गों का निर्माण– अधिसूचना के पैरा 7 के उप–पैरा (i) में दर्शाए गए अनुसार सी आर जेड–I क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित गतिविधियां आरंभ की जा सकती है :–

अ. ग्रेटर मुंबई के विकासात्मक योजना में मार्गों, एप्रोच मार्गों और मिसिंग लिंक मार्गों का निर्माण, यह सुनिश्चित करते हुए कि ज्वारीय जल का मुक्त प्रवाह प्रभावित न हो, ऐसे निर्मित मार्गों अथवा एप्रोच मार्गों के भू क्षेत्र पर सी आर जेड– II को प्राप्त किसी लाभ के बिना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :–

(i) सभी मैंग्रोव क्षेत्रों का मापन किया जाएगा और सुरक्षित वनों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा तथा पहचान किए गए मैंग्रोव क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा और संरक्षण उपाय शुरू किए जाएंगे ।

(ii) सी आर जेड क्षेत्र के बाहर ठोस *अपशिष्ट स्थलों की पहचान की जाएगी और उसके पश्चात दो साल के भीतर मौजूदा कन्वेंशन ठोस अपशिष्ट स्थलों को सी आर जेड क्षेत्र के बाहर ले जाया जाएगा ।*

(iii) निर्माण प्रकिया के दौरान नष्ट किए गए/काटे गए कच्छ वनस्पति वनों का पांच गुणा रोपण किया जाएगा ।

(iii) सी आर जेड - II क्षेत्रों में-

अ. नगर और शहर योजना विनियम जैसे कि तारीख 19.2.1991 की अधिसूचना जारी होने की तारीख

को थे, में दिए गए मानकों के अनुसार विकास और जीर्णोद्धार तबतक निरंतर जारी रहेगा, जब तक कि त्वरित अधिसूचना में इसे अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो ।

ब. झुग्गी पुनर्वास स्कीमें, –

1. ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में बड़ी संख्या में झुग्गी बस्तियां हैं जिनमें लाखों परिवार रहते हैं । इन झुग्गी बस्तियों की जीवन दशाएं बहुत खराब हैं और नागरिक अभिकरण यहां पेयजल, बिजली, सड़कों, नालियों आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराने में असमर्थ है । झुग्गी अनियोजित और घनी बसी हैं । इसके अतिरिक्त बचाव राहत और खाली करने की दृष्टि से होने वाली परेशानियों के मद्देनजर *तटीय क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों को चक्रवात, तूफान अथवा* सुनामी का बहुत खतरा है ।

2. इसलिए झुग्गी बस्ती के निवासियों को सुरक्षित और उपयुक्त निवास स्थान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सीधे या अपनी सहायक एजेंसियों जैसे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (एम एच ए डी ए), शिवशाही पुनर्वासन प्रकल्प लिमिटेड (एस पी पी एल), मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एम एम आर डी ए) आदि के माध्यम से झुग्गी बस्ती पुनर्विकास स्कीमें कार्यान्वित कर सकती है:

बशर्ते कि :-

(i) ऐसी पुनर्विकास स्कीमें यह सुनिश्चित करते हुए कि इसमें राज्य सरकारों या उनके सहायक निकायों का अंश 51% से कम न हो, सीधे या संयुक्त रुप से या सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी अथवा ऐसे समान मॉडयूल से शुरु की जाएंगी ।

(ii) ऐसी जीर्णोद्धार स्कीमों के लिए फ्लोर स्पेस इन्डेक्स या फ्लोर एरिया अनुपात सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को दी गई मंजूरी की तारीख को मौजूद नगर और शहर योजना विनियम के अनुसार होगा ।

(iii) शर्त (1) (i) के माध्यम से राज्य सरकार सहित यहां सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी रुप से विनियमित सभी किरायेदारों को अपने स्थान पर अथवा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिए गए मानकों के अनुसार मकान उपलब्ध कराए गए हैं, उनके साथ पुनर्विकास शुरु करना परियोजना प्रस्तावक की जिम्मेदारी होगी ।

स. जीर्ण-शीर्ण, उपकर आधारित और असुरक्षित भवनों का पुनर्निर्माण :

1. ग्रेटर मुंबई में भी सी आर जेड क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण, उपकर आधारित और असुरक्षित भवन हैं और अपनी स्थिति के कारण ये ढांचे अत्यंत असुरक्षित और आपदा की संभावना वाले हैं इसलिए इन अभिनिर्धारित भवनों का जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण अत्यंत आवश्यक है ।

2. ये परियोजनाएं निम्नलिखित शर्तों और सुरक्षा उपायों के अध्यधीन शुरु की जाएंगी :

(i) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख पर यथा अभिज्ञात ऐसी पुनर्विकास / पुनर्निर्माण परियोजनाएं इन भवनों के मालिकों या निजी डेवलपर्स को शामिल करते हुए मौजूदा विनियम के अनुसार सीधे या संयुक्त रुप से या अन्य समान मॉड्यूल्स के माध्यम से शुरु करने की अनुमति दी जाएगी ।

(ii) ऐसी जीर्णोद्धार स्कीमों के लिए फ्लोर स्पेस इन्डेक्स या फ्लोर एरिया अनुपात सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को दी गई मंजूरी की तारीख को मौजूद नगर और शहर योजना विनियम के अनुसार होगा ।

(iii) उपर्युक्त शर्त (1) के माध्यम से पुनर्निर्माण शुरु करते समय परियोजना प्रस्तावकों द्वारा भवनों के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण के दौरान विशिष्ट भवनों के वास्तविक किराएदारों के लिए उचित आवास सुनिश्चित किया जाएगा ।

द. इस अधिसूचना में कहीं भी, कुछ भी शामिल होने के बावजूद उपर्युक्त पैरा ब और स में विशिष्ट रुप से दी गई झुग्गी बस्तियों और जीर्ण-शीर्ण, उपकर आधारित और असुरक्षित भवनों के लिए विकासात्मक कार्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उसमें बताए गए जवाबदेह और पारदर्शी ढंग से पूरे किए जाएंगे, जिसमें जहां भी लागू हो, निम्नलिखित शर्त-पूर्व उपाय शामिल होंगे :-

1(i). सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई सभी जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए आर टी आई अधिनियम, 2005 की अनुप्रयोज्यता ।

(ii). पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सी पी आई ओ और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से उपयुक्त रैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के गठन हेतु आदेश जारी करेगा ।

(iii). इसे अनुमोदित करने से पहले एक महीने के अंदर महाराष्ट्र सरकार में उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन की धारा 4 की आवश्यकता के रुप में पूर्ण प्रस्ताव और पात्र झुग्गी वासियों के नामों सहित झुग्गी बस्ती पुनर्वास योजना का ब्यौरा, स्वप्रेरणा से घोषित किया जाएगा;

(iv) उप अनुच्छेद v के खंड (iii) के उप खंडों (ब) और (स) में दर्शायी गई परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकार में कार्यान्वयन अथवा कार्यकारी अभिकरण, स्थल और कार्यान्वयन अथवा कार्यकारी अभिकरण के कार्यालय में बड़े नोटिस बोर्डों पर पात्र भवन-निर्माता, बनाई जा रही कोठरियों की कुल संख्या, पात्र झुग्गी वासियों के नाम जिन्हें आवासीय इकाइयां प्रदान की जानी है और खुले बाजार में बिक्री के लिए उपलबध अतिरिक्त क्षेत्र दर्शाए जाएंगे ।

(v) यदि परियोजना प्रस्तावक सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु सहमत होते हैं केवल तभी उप-अनुच्छेद V के खंड (iii) के उपखंडों (ब) और (स) के अंतर्गत विकसित की जा रही परियोजनाओं को अनुमति दी जाएगी ।

2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सांविधिक परीक्षको को नियुक्त करे, जो नियंत्रक और लेखा परीक्षक (इसमें इसके पश्चात् नि. और ले.प. के रुप में में उल्लिखित) द्वारा जीर्ण-शीर्ण, उपकर आधारित और असुरक्षित भवनों के पुनर्विकास से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में कार्य-निष्पादन और वित्तीय लेखा-परीक्षा करने के लिए रखे गए हैं और झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास स्कीम से संबंधित परियोजनाओं की लेखा-परीक्षा, नि. और ले.प. द्वारा की जाएगी ।

3. महाराष्ट्र सरकार द्वारा V(iii)(ख) और (ग) के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की स्थापना करना, जिसमें स्थानीय शहरीनिकायों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न स्टेक हॉल्डरों, वास्तुविदों, शहरी योजनाकारों, इंजीनियरों और नागरिक समाज के ख्याति प्राप्त प्रतिनिधि शामिल होंगे ।

4. V(iii)(ख) और (ग) के अंतर्गत वैयक्तिक परियोजनाएं केवल जन परामर्श के बाद शुरू की जाए जिसमें केवल कानूनी रूप से अधिकृत झुग्गी वासी अथवा विध्वंस/बंद भवन के कानूनी रूप से अधिकृत किरायेदारों से ईआईए अधिसूचना 2006 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विचार प्राप्त किए जाएं ।

(य) ग्रेटर मुंबई क्षेत्र के 'ग्रीनलंग' की सुरक्षा और परिरक्षा के लिए सभी खुले स्थानों, पार्कों, उद्यानों, सी आर जेड-II के अंदर की विकास योजनाओं में निर्धारित क्रीड़ास्थलों को सी आर जेड-III, जोकि 'नो डेवलपमेंट जोन' है, के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

(र) नागरिक सुविधाओं, मनोरंजन और खेलकूद से संबंधित कार्यों के लिए स्टेडियम, जिम्नाजियम आदि निर्माण के लिए ही 15% फ्लोर स्पेस इंडेक्स की अनुमति होगी । ऐसे खुले स्थानों के आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति नहीं होगी ।

(ल) 1981 की विकास योजना और महाराष्ट्र सरकार के संबंधित रिकार्डों में अभिनिर्धारित मछुआरा बस्ती क्षेत्र नामत: कोलीवाड़ा सीआरजेड III के रूप में मानचित्रित और घोषित किए जाए जिसमें इन बस्तियों का निर्माण और पुनर्निर्माण स्थानीय नगर और शहर योजना विनियमों के अनुसार किया जाए ।

(व) राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए मछुआरा समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों से संबंधित आवासीय ईकाइयों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों के बारे में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा और उपयुक्त नगर और शहर योजना विनियमों के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

2. *केरल का सी.आर.जेड*

केरल के तटीय क्षेत्रों में मौजूद स्थान सीमा सहित बैकवाटर और बैकवाटर द्वीप समूह के अद्वितीय तटीय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सी.आर.जेड.में निम्नलिखित कार्यकलाप विनियमित किए जाएं, नामत:

(i) *केरल के बैकवाटर में स्थित समस्त द्वीप सी.आर.जेड. अधिसूचना के अंतर्गत आने चाहिए।*

(ii) बैकवाटर में मौजूद द्वीप के पास भूमि की ओर उच्च ज्वार रेखा से लेकर 50 मीटर तक का सी.आर.जेड. क्षेत्र होना चाहिए।

(iii) एच.टी.एल. से 50 मीटर के अंतर्गत स्थित स्थानीय समुदायों के आवासीय स्थल की